

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION DURG (C.G.)

N.I.T.

SERVE & Writing The Pole Number at Municipal Corporation Durg (C.G.)

S. No.	DESCRIPTION	UNIT	RATE
1	Serve & Writing of The Pole Number at Municipal Corporation Area's street lights pole with synthelic Enamel Paint Labour necessary material etc induring preapparation of swsface as per specification with writing in number black paint & Base yellow syntheic panit size:- 30"x15 max./as per site condition.	Each	




✓ **Ex. Engineer**
Municipal Corporation Durg

!! अन्य नियम एवं शर्तें !!

- (1) सड़कबत्ती पोल के सर्वे अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में जानकारी दी जानी होगी उदाहरणार्थ एवं वार्डों में स्विचिंग (ऑन/ऑफ) प्वाइंट कहां पर अंकित है उसकी भी जानकारी दी जानी होगी।

क्र.	वार्ड क्रमांक	पोल क्रमांक	स्थापित फिटिंग्सो का विवरण	संख्या	कुल फिटिंग्स
1	01	01/01 वार्ड क्र./पोल क्रमांक	CFL Tube / LED	1 1 1	03

- (2) प्रत्येक वार्ड सड़कबत्तियों में पोल क्रमांक अंकित करते समय उपर वार्ड क्रमांक लिखा जाना है जो संपूर्ण वार्ड हेतु एक ही रहेगा तथा एक आड़ी लकीर खींचकर उसके नीचे पोल क्रमांक अंकित किया जावेगा जो प्रत्येक पोल के साथ बढ़ते क्रम में अंकित किया जाना है।
- (3) पोल क्रमांक लिखते समय वार्ड की सीमा के संबंध में विभाग से अथवा वार्ड पार्षद से जानकारी लिया जाना उपयुक्त होगा।
- (4) उक्त दरें 2 वर्ष तक मान्य होगी इस समयावधि में नये पोल स्थापना उपरांत स्वीकृत दर पर ही पोल क्रमांक अंकित करना होगा।
- (5) विवाद की प्रत्येक स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा
- (6) स्वीकृत दर नियमानुसार शासकीय टैक्सो की कटौती की जावेगी।
- (7) पोल पेन्टिंग का कार्य उच्च क्वालिटी के सिथेरिक पेन्ट/ ब्रश के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

!! पोल नम्बरिंग कार्य हेतु आवश्यक शर्ते !!

- (1) प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक पोल में वार्ड वाइज पोल नम्बर निर्धारित साइज में अंकित करना होगा। प्रत्येक नम्बर में उपर वार्ड का क्रमांक एवं एक आडी लकीर देकर क्रमवार पोल नम्बर लिखा जाना है। जैसे वार्ड क्र.-1 हेतु 1/1, 1/2 इत्यादि पोल नम्बर अंकित करते समय बेस में काले रंग का इनेमल पेन्ट तथा नम्बर पीले रंग के इनेमल पेन्ट से लिखा जाना है जिसकी निर्धारित अधिकतम साइज (0.30 X 0.15) मीटर है एवं जिसकी साइज स्थल पर निर्धारित सड़कबत्ती पोल की चौड़ाई पर निर्धारित होगी अर्थात साइज में अभियंता के निर्देश पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (2) पोल नम्बर डालने में एनेमल पेन्ट का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- (3) प्रत्येक निविदाकार स्थानीय एवं पेंटिंग के कार्य का अनुभवी होना चाहिये।
- (4) पोल नम्बरिंग का कार्य निर्धारित समयवधि में करना आवश्यक है।
- (5) भुगतान में नियमानुसार आई.टी.सी.टी. एवं के.टी. की कटौती की जावेगी।
- (6) किसी भी विवाद की स्थिति में निगम का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- (7) पोल नम्बर डालने उपरांत निर्धारित प्रपत्र में सर्वे रिपोर्ट भर कर देनी होगी जिसका प्रारूप विभाग द्वारा दिया जावेगा जिसमें फिटिंग संबंधी जानकारी भरना है।

कार्यपालन अभियंता
✓ नगर पालिक निगम, दुर्ग